न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 151 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 09.06.2016

नारूलाल पिता भेरूशंकर पुरोहित जाति ब्राह्म्ण निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
–अपीलांट

विरूद्व

1. तेजशंकर पिता भेरूशंकर पुरोहित जाति ब्राह्म्ण निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. रतनलाल पिता लादुलाल जाति सुवालका निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौडगढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
संशोधित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 62/2016 संशोधत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016

उपस्थित– 1. राकेशपुरी गोस्वामी –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. शांतिलाल बसेर–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 3

निर्णय **दिनांक 30.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा बस्सी तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता सं. 395 मे दर्ज आराजी नम्बर 2773, 3031, 3035, 3041, 3042, 3049, कुल किता 6 रकबा 1.16 हैक्टेयर एवं खाता सं. 398 मे दर्ज आराजी नम्बर 3032/4702, 3033 कुल किता 2 रकबा 0.14 हैक्टेयर का बंटवाडा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जो लोक अदालत कैम्प कोर्ट बस्सी मे दिनांक 30.05.2016 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित की है। दिनांक 02.06.2016 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा काउन्टर क्लेम दिनांक 06.04.2016 को ही अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया जो सहवन से पत्रावली मे सम्मिलित नही किया गया। जिससे पत्रावली पर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना अपीलान्ट वादी को सूचना पत्र जारी किये रेस्पोडेन्ट सं.1 प्रतिवादी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

काउन्टर क्लेम स्वीकार कर राजस्व कोर्ट बस्सी मे दिनांक 02.06.2016 को संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। अपीलान्ट वादी को काउन्टर क्लेम का जवाब का कोई अवसर प्रदान नही किया गया। काउन्टर क्लेम के कथनो पर विश्वास कर अपीलान्ट वादी को बिना सूने घोषणा का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर संशोधित निर्णय व डिक्री जारी की है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा आराजी नम्बर 3032/4702 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि अपने पिता से क्रय करना बताया। इकरारनामा दिनांक 20.05.1988 को लिखा जाना बताया उसी के आधार पर काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जबकि इकरारनामे मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी के पिता ने एक प्लॉट मात्र 9000/- रू. प्राप्त कर विक्रय करने, मकान बनाने हेतु इबारत लिखी। उक्त इकरानामे मे कही भी आराजी नम्बर 3032/4702 रकबा 0.05 हैक्टेयर का हवाला नही दिया गया। फिर भी बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने पूर्व मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 को संशोधित कर दिनांक 02.06.2016 को संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे दिनांक 30.05.2016 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। उसी पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलान्ट वादी को सुने बगैर दिनांक 02.06.2016 को संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की गई जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित संशोधित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे संशोधित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट वादी की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित संशोधित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 के राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.06.2016 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 का प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी लोक अदालत मे नियत किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को अपीलान्ट वादी को बिना सूने स्वीकार कर अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर काउन्टर क्लेम बिना दस्तावेजी साक्ष्य के डिक्री किया है जिसमे अपीलान्ट वादी को किसी प्रकार का सूचना पत्र जारी नही किया गया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे जो इकरारनामा दिनांक 10.05.1988 प्रस्तुत किया गया है उसमे प्लॉट के सम्बन्ध मे निष्पादित हुआ है जिसमे कही आराजी नम्बर का अंकन नही किया गया है। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 पर अपीलान्ट वादी को बिना सूने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर काउन्टर क्लेम के अनुसार आराजी नम्बर 3032/4702 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के रखते हुए बंटवाडा किये जाने का संशोधित आदेश पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पारित संशोधित निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर पूर्व मे जारी प्राथमिक निर्णय व डिक्री को बहाल रखाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे मौजा बस्सी की खाता सं. 395 व 398 की कृषि भूमि मे 1/2, 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड के अनुसार मानते हुए बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया था, जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से दिनांक 06.04.2016 जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। उक्त जवाबदावे को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेकार्ड पर लिये बगैर उक्त पत्रावली को दिनांक 30.05.2016 को लोक अदालत कैम्प बस्सी मे नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नही किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री बिना किसी राजीनामे की है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने दिनांक 02.06.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर काउन्टर क्लेम मे चाही गई दाद के अनुसार संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 न्यायोचित होकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण बताते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र बंटवाडे का था। वादी अपीलान्ट ने वादपत्र पैतृक कृषि भूमि के बंटवाडे के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को अनिर्णित रखते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जाकर संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिनुसार होकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध पैतृक कृषि आराजीयात मे बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 06.04.2014 को जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना पक्षकारान को सूचित किये दिनांक 30.05.2016 को उक्त पत्रावली लोक अदालत कैम्प बस्सी मे नियत की गई व पक्षकारान की उपस्थिति मे वादपत्र मे चाही गई दाद के अनुसार बिना राजीनामे के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। जबकि उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत था एवं जवाबदावे मे आराजी नम्बर 3032/4702 रकबा 0.05 हैक्टेयर दिनांक 20.05.1988 को भेरूशंकर से क्रय करने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया था। उक्त काउन्टर क्लेम को अनिर्णित रखते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 02.06.2016 को प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट वादी को बिना सूचना बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत कैम्प कोर्ट बस्सी मे पत्रावली ली जाकर उक्त पत्रावली मे बिना किसी राजीनामे के बिना पक्षकारान को सूने संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर संशोधित निर्णय व डिक्री किया गया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 को बिना पक्षकारान को सूचना दिये दिनांक 30.05.2016 को पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई व रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी का आराजी नम्बर 3032/4702 रकबा 0.05 हैक्टेयर का काउन्टर क्लेम के अनुसार संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय मे लोक अदालत के तहत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 व लोक अदालत के तहत ही संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 पारित की है, जो संहवनीय नही होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण सं. 62/2016 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 जो लोक अदालत के तहत बिना किसी राजीनामे के पारित की गई है, निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान के अभिवचनो के अनुसार पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर तनकीवार अजरसे निव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ़